

2025/379

सि.पि.
11.6.2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
अरविन्द बनाम मनीराम आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 267 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
02.06.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">म</p>	
6.6.2025	<p>वकील धारिवाही ने प्रार्थना पत्र सिवाल पेकी पेश करने पर प्रजावली को पेकी में लिया गया। वकुलार फरिडेन उपाधिवाल पुकीवाल सर 10/5 ने जरिये वकील डनेरा कुमर उपाधिवाल द्वारा पत्रावली पेश किया जिसे 21/6/25 को पेश किया गया। प्रजावली को पेश करे करे 20/6/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">म</p>	
11.6.2025	<p>वकुलार फरिडेन उपाधिवाल सर 10/5 द्वारा पत्रावली पेश किया गया। प्रजावली को अवलोकन किया गया। प्रजावली पर उपलब्ध रिपोर्ट करी व वकील पुकीवाल की सहमति के आधार पर वाद वकील डिकरी किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित सि.पि. डालग से लिखा जाकर 21/6/25 को पेश किया जाये। प्रजावली नम्बर को अलग की जाकर दाखिल कराये हो।</p> <p style="text-align: right;">म</p>	

